# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 अंक 21 1-15 नवंबर 2022 ₹ 20/-


# समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध

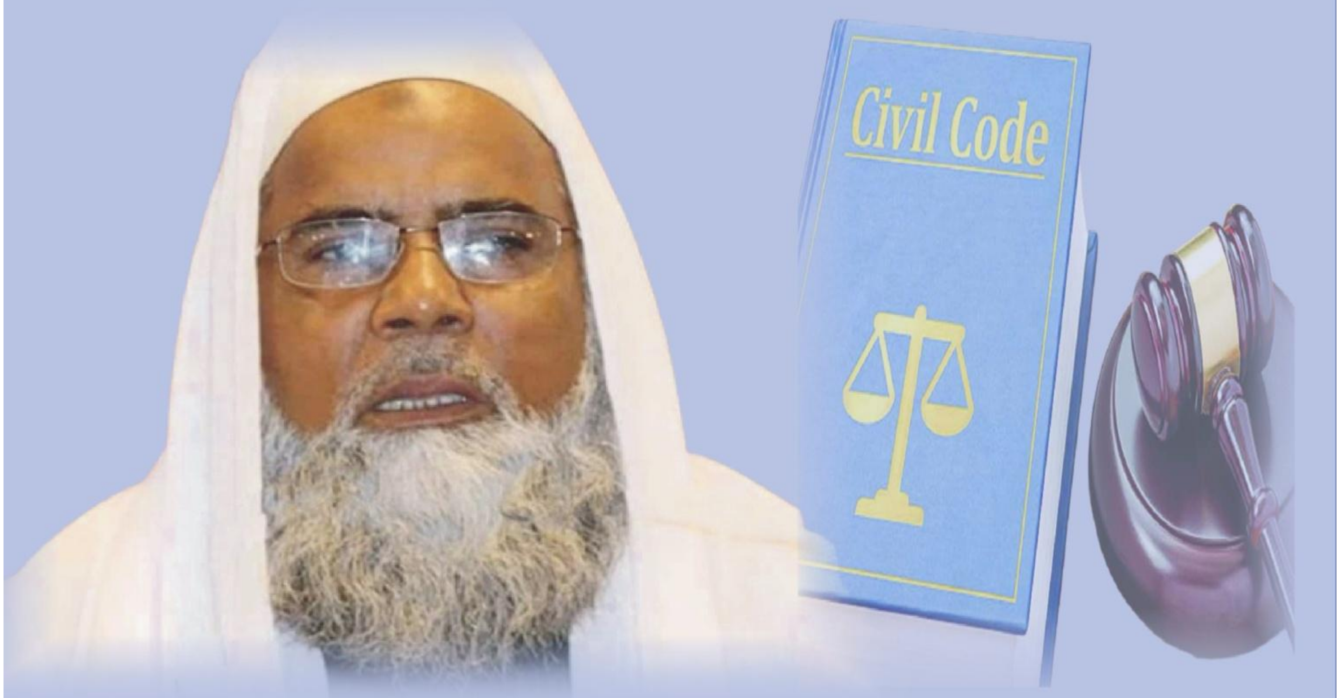


- सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास
- इमरान खान पर हमला
- इस्तांबुल में धमाका
- मुंबई दंगों में लापता लोगों को खोजने का निर्देश

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

**राष्ट्रीय**

समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध 04
कर्नाटक के सभी स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य 06
असम के मदरसों का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में 07
सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास 08
पति की सहमति के बिना भी मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार 10
कट्टरपंथियों का अहमदियों के खिलाफ अभियान 12

**विश्व**

इमरान खान पर हमला 15
संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर प्रस्ताव पारित 18
अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में मुसलमानों की सफलता 19
अफगान महिलाओं के जिम और हम्माम में जाने पर प्रतिबंध 20
नीदरलैंड सरकार का चीनी केंद्रों को बंद करने का फैसला 21

**पश्चिम एशिया**

इस्तांबुल में बम धमाका 22
उमरा के लिए 20 लाख लोग मक्का में 22
इजरायल में नतन्याहू सत्तारूढ़ 23
शिराज दरगाह हमले में 26 विदेशी गिरफ्तार 25
सूडान में नए सियासी रूपरेखा पर बातचीत 25

**अन्य**

मुंबई दंगों में लापता लोगों को खोजने का निर्देश 26
गौतम नवलखा को घर में नजरबंद रखने का आदेश 26
ओवैसी पर हमले के आरोपियों की जमानत रद्द 26
मौलाना महमूद मदनी पर्सन ऑफ द ईयर घोषित 27
मुंबई नगर निगम में 12 हजार करोड़ का घोटाला 27

# सारांश

पाकिस्तान में पुनः रक्तपात की राजनीति की शुरुआत हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर घातक हमला किया गया, जिसमें उनक पैर में चार गोलियां लगीं। इमरान खान ने यह आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना और कुछ नेताओं का हाथ है। इस बात में संदेह नहीं कि पाकिस्तान में आज तक सेना ने किसी भी ऐसे नेता को स्वीकार नहीं किया, जो कि उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार न हो। इसलिए इमरान सरकार का तख्ता पलटने में पाकिस्तानी सेना ने विशेष भूमिका निभाई। इमरान खान ने अपनी सरकार को बर्खास्त करने के लिए अमेरिका, पाकिस्तानी सेना और गुप्तचर एजेंसी आईएसआई को दोषी ठहराया है। इससे पूर्व भी पाकिस्तान के दो प्रधानमंत्रियों की हत्या इसी तरह से की जा चुकी है। पहले प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान को रावलपिंडी में गोली का निशाना बनाया गया और उसी स्थान पर बेनजीर भुट्टों की भी लगभग उसी तरह से हत्या की गई। पाकिस्तान की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है इस पर नजर रखने की जरूरत है।

भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो उल्लेख किया है, वह मुस्लिम कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार, भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस अभियान में कुछ कट्टरपंथी सिख भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में शामिल हो गए हैं।

देश में शरारती तत्व सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का निरंतर पयास कर रहे हैं। इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा के शासनकाल में इस्लाम और मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। उर्दू समाचारपत्र इस अभियान में बढ़चकर हिस्सा ले रहे हैं। मगर हाल ही में शाहजहांपुर की एक मस्जिद में हुई कुरान पाक के अपमान की घटना ने इस दुष्प्रचार का पर्दाफाश कर दिया है। वहां पर एक मस्जिद में कुरान के कुछ जले हुए पृष्ठ पाए गए थे। जब यह खबर नगर में फैली तो मुसलमान उत्तेजित हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया और भाजपा को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जब इस मामले की जांच की गई तो यह पता चला कि कुरान को आग लगाने की हरकत एक मुसलमान ताज मोहम्मद ने की है। पुलिस ने तुरंत इस शरारती व्यक्ति को अपनी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी।

देश में कट्टरपंथी वहाबो मुसलमानों ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए अहमदियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है। इस सिलसिले में कानपुर में एक विशाल मुस्लिम सम्मेलन हुआ, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी वक्ताओं ने बिना नाम लिए अहमदी मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। क्योंकि अहमदी मुसलमान इस इस्लामिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते कि हजरत मोहम्मद अल्लाह द्वारा भेजे गए अंतिम नबी (पैगम्बर) हैं। इससे पूर्व भी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कट्टरपंथियों ने अहमदियों के खिलाफ अभियान चलाया था।

# समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध

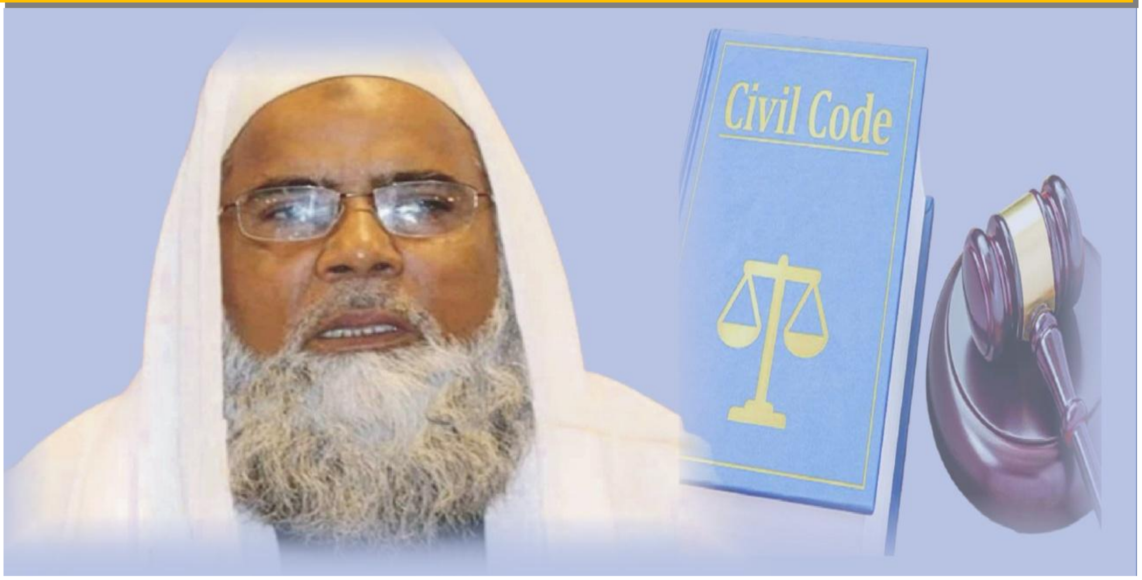


उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का जब से उल्लेख किया है, कट्टरपंथी मुसलमानों के एक वर्ग ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है।

**अवधनामा** (1 नवंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि उत्तराखंड और उसके बाद गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो शोशा छेड़ा है, वह न सिर्फ मुसलमानों बल्कि देश के तमाम अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को स्वीकार नहीं है। देश के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह अपने-अपने धर्म और आस्था का अनुसरण करे और अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करे। इसलिए विभिन्न वर्गों के पर्सनल लॉ को संविधान का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई लोगों की अलग पहचान को समाप्त करने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। अंग्रेजों के आने से पूर्व भी विभिन्न धर्म के लोग अपने-अपने पर्सनल लॉ को मानते थे और अंग्रेजों ने भी उसे बरकरार रखा था। आजादी के 75 वर्ष बाद तक यह सिलसिला जारी रहा। मगर अब कुछ लोग मार्गदर्शक सिद्धांतों की आड़ लेकर उसके अनुच्छेद 44 का हवाला देते हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है।

उन्होंने कहा कि यह भी एक हकीकत है कि आदिवासियों के विभिन्न संप्रदायों ने सरकार से जो समझौते कर रखे हैं, उनमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उनके रस्मोरिवाज को बरकरार रखा जाएगा और उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर इन लोगों को उनकी धार्मिक पहचान से वंचित किया गया तो इससे देश की एकता और भाईचार प्रभावित होगा। इससे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस संदर्भ में सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य वर्गों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव के मौके पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह का

विवाद उठाता है, ताकि देश में नफरत का माहौल बनाया जा सके।

**सियासत** (9 नवंबर) के अनुसार पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब ने भी भाजपा द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के वायदे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि मुसलमानों, ईसाईयों और पारसियों के अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने से उनकी अलग पहचान समाप्त हो जाएगी। बहुसंख्यकों के वोट बटोरने के लिए भाजपा द्वारा इस तरह का विवादित मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने इस संबंध में कोई कानून लाने की कोशिश की तो वे देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

**हमारा समाज** (5 नवंबर) में सैयद सरफराज का एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आते ही भाजपा ने गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो इससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, ईसाई, जैन और बौद्ध आदि भी प्रभावित होंगे, जो कि सेक्युलरिज्म और संविधान के खिलाफ होगा। भाजपा बार-बार इस मुद्दे को इसलिए उठाती है ताकि बहुसंख्यक समाज में यह भ्रांति फैले कि इसका विरोध सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं। भारत जैसे बहुधर्मी देश में इस तरह का कानून लागू करने से देश और समाज को बहुत हानि होगी। भाजपा को चाहिए कि वह बार-बार समान नागरिक संहिता के जिन्न को बोतल से निकालने को बजाए उसे बोतल में ही रहने दे। यही देश और समाज के हित में होगा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (1 नवंबर) में प्रकाशित एक लेख में डॉ. सलीम खान ने कहा है कि गुजरात में क्योंकि भाजपा की जीत की संभावना नहीं है, इसलिए डूबती भाजपा समान नागरिक संहिता का सहारा ले रही है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (3 नवंबर) ने इब्राहिम आतिश का  एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध किया गया ह और उसे संविधान और समाज के खिलाफ बताया गया है।

**इंकलाब** (11 नवंबर) के अनुसार सिखों के प्रमुख संगठन शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध किया है। कमेटी ने एक प्रस्ताव में समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रयास को आरएसएस और भाजपा द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा करार दिया है और उसकी तीव्र आलोचना की है। प्रस्ताव की यह कॉपी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान एक बहुभाषी और विभिन्न धर्मो का देश है। यहां विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सिखों ने स्वतंत्रता संग्राम और देश की संस्कृति को बचाने के लिए विशेष प्रयास किया, लेकिन अब यहां बसने वाले अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार और आरएसएस अपने एजेंडे को देश पर जबरन थोप रही है और यह देशहित में नहीं है।

समाचारपत्र के अनुसार भाजपा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी ध्रुवीकरण का कार्ड खेलते हुए यह वायदा किया है कि सत्ता में

आने पर वह समान नागरिक संहिता को लागू करेगी और वक्फ संपत्तियों की जांच भी करवाई जाएगी। ताकि ऐसी संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। केंद्र सरकार एक ओर तो समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा कर रही है, जबकि दूसरी ओर, 18 अक्टूबर को केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में समान नागरिक संहिता से संबंधित याचिकाओं को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस संबंध में संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश अदालत नहीं दे सकती। इसलिए समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग करने वाली याचिकाएं इस काबिल नहीं हैं कि उन पर विचार किया जाए।

## कर्नाटक के सभी स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य

**मुंबई उर्दू न्यूज** (5 नवंबर) के अनुसार कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के प्रबंधकों को यह निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन छात्रों को दस मिनट तक योग का प्रशिक्षण दें। यह फैसला छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए किया गया है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा है कि योग शिक्षा लागू करने से छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका मानसिक तनाव कम होगा। इससे उनमें सकारात्मक रवैया पैदा होगा और उनके अच्छे नागरिक बनने में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य के कई स्कूलों और कॉलेजों में पहले से ही योग शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने सभी स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं से योग शिक्षा को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है।

कर्नाटक सरकार के इस फैसले की कई शिक्षाविदों ने आलोचना की है और सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार संविधान और सेक्युलरिज्म की सीमा में रहकर फैसला करे। वह किसी पर मनमाने फैसले न लादे। पत्र लिखने वालों में डॉ. पी.बी. भंडारी, प्रो. निरंजन आराध्य, डॉ. एस.जी. सिद्दारमैया, डॉ. विजय और डॉ. श्रीनिवासन जैसे वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल हैं। पत्र में यह भी कहा है कि कोरोना के बाद बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने के बारे में यूनिसेफ ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, उसमें कहीं भी योग और ध्यान लगाने का उल्लेख नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार किस आधार पर ऐसे मनमाने फैसले ले रही है?

# असम के मदरसों का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में

**इंकलाब** (2 नवंबर) के अनुसार असम की भाजपा सरकार ने राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त 400 से अधिक इस्लामिक मदरसों को स्कूलों में बदलने और उनकी संपत्ति के अधिग्रहण का जो फैसला किया है, उसे असम मदरसा प्रबंधक कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। गौरतलब है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय इस सरकारी फैसले का समर्थन कर चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार से इस संदर्भ में जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा है कि जिन 400 मदरसों को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है, वह अल्पसंख्यकों की मिल्कियत हैं और राज्य सरकार सिर्फ उनके कर्मचारियों को वेतन ही दिया करती थी। वकील ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अपने अधिकारों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रही है।

**हमारा समाज** (9 नवंबर) में प्रकाशित समाचार के अनुसार महाराष्ट्र सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार के पद्चिन्हां पर चल रही है। मुंबई पुलिस ने इस संदर्भ में अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और मदरसों एवं मस्जिदां से संबंधित एनजीओ एवं धर्मार्थ संस्थानों की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इनको चलाने के लिए धनराशि किन स्रोतों से प्राप्त होती है। इस फैसले से अल्पसंख्यकों में भारी नाराजगी है।

**सियासत** (2 नवंबर) के अनुसार एक ओर तो दारूल उलूम देवबंद ने इस्लामिक मदरसों के पाठ्यक्रम में किसी भी तरह का संशोधन का विरोध किया है। दूसरी ओर, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपने पाठ्यक्रम में गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर और हिंदी को भी शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में मदरसों की प्रबंध समितियों का एक अधिवेशन शीघ्र ही बुलाया जा रहा है। गौरतलब है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है। यहां छात्र-एवं छात्राओं को सात विषय पढ़ाए जाते हैं। जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में दारूल उलूम देवबंद और बरेली शरीफ के परंपरागत पाठ्यक्रमों को ही अभी तक पढ़ाया जा रहा है।

**अवधनामा** (11 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस्लामिक मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। इस सर्वे के अनुसार अब तक 8496 मदरसे ऐसे पाए गए हैं, जो किसी मदरसा बोर्ड से

संबंधित नहीं हैं। राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में क्या नीति अपनाई जाए? उत्तर पदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय विचार किया जाएगा। इसके बाद ही इन मदरसों के बारे में कोई नीति का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मदरसे किसी मदरसा बोर्ड से संबंधित नहीं हैं और सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करते हैं, वे गैरकानूनी नहीं हैं।

**रोजनामा सहारा** (2 नवंबर) के अनुसार तमाम जिलाधिकारी 15 नवंबर तक अपनी-अपनी मदरसों से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज देंगे। समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश में आठ हजार से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। सबसे अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद जिले में मिले हैं। दूसर नंबर पर बिजनौर है और तीसरे नंबर पर बस्ती जिला है। मदरसा बोर्ड के रजिस्टार जगमोहन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जो उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है, वह इस बात की जांच करेगी कि इन मदरसों की आय के क्या साधन हैं? कौन सा संगठन इन मदरसों को चलाता है? इनमें छात्र एवं छात्राएं कितने हैं? उन्हें कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है? और उनमें कितने अध्यापक पढ़ाते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही राज्य सरकार इस संदर्भ में कोई नीति तय करेगी।

**दैनिक इंकलाब** (10 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के साठ जिलों में इस्लामिक मदरसों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और राज्य में 8496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। अभी शेष 15 जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि राज्य के सभी मदरसों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगली कार्रवाई के लिए जरूरी फैसले लिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाना और उनका विकास करना है। हम इन मदरसों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं।

## सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास

**मुंबई उर्दू न्यूज** (4 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद में घ़सकर कुरान को जला दिया था। इस घटना को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने खूब हवा दी थी और यह आरोप लगाया था कि इस घटना के पीछे किसी हिंदू कट्टरपंथी का हाथ है। मुसलमानों ने शहर में जगह-जगह उग्र प्रदर्शन किए थे और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की थी। शाहजहांपुर की पुलिस ने इस संवेदनशील मामले को पूरी गंभीरता से लिया। मस्जिद में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फूटेज के आधार पर एक मुस्लिम व्यक्ति ताज मोहम्मद को कुरान पाक को जलाते हुए पाया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इससे पूर्व शाहजहांपुर के चौक कोतवाली इलाके में यह खबर बड़ी तेजी से फैली थी कि मस्जिद सैयद शाह फखर आलम मियां मस्जिद में शाम को दो लोगों ने घुसकर कुरान को जला

दिया। नमाज के बाद जब इमाम हाफिज नदीम और कुछ अन्य लोग मस्जिद में पहुंचे तो उन्हें वहां कुरान के कुछ जले हुए पृष्ठ मिले। जब यह खबर क्षेत्र में फैली तो लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने भाजपा नेताओं के कुछ होर्डिंग को उतारकर उन्हें आग लगा दी और भाजपा के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाए। शांति व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत को देखकर पुलिस ने उत्तेजित भीड़ को अलग-थलग कर दिया और घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया।

**अवधनामा** (3 नवंबर) के अनुसार इस मस्जिद में शरारती तत्वों ने पांच कुरान जलाए थे। इस घटना की खबर फैलते ही उत्तेजित मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह शरारती तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बात उत्तेजित भीड़ ने सुपर ऑटो वर्क्स शॉप के पास एक मीटिंग की, जिसमें बड़े उत्तेजक भाषण दिए गए। मस्जिद के इमाम मोहम्मद नदीम और उनके सहयोगी सुहैल मस्जिद की छत पर बने कमरे में मौजूद थे। कहा जाता है कि ढ़ाई बजे मस्जिद के इमाम कहीं चले गए। मोहल्ले के मोहम्मद फारूक जब साढ़े तीन बजे आए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर धुआं उठ रहा है और कुरान के पृष्ठ जल रहे हैं। पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर जाकर कुरान के जले हुए पृष्ठों को अपने कब्जे में ले लिया। मस्जिद के सामने लगे सीसीटीवो कैमरे में आरोपी ताज मोहम्मद मस्जिद से बाहर निकलते हुए दिखता है। वह काली सर्ट और हरे रंग की पैंट पहने हुए था। आरोपी अपनी चप्पलें मस्जिद में ही छोड़ आया था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (5 नवंबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों को भड़कान का प्रयास किया और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ शरारती तत्वों का अभियान जारी है। कभी मॉब लिंचिंग की वजह से कोई मुसलमान अपनी जान गंवा बैठता है तो कभी मदरसों को अपना निशाना बनाया जाता है। शरारती तत्व जानबूझकर मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मगर वहां पर मुसलमानों को जानबूझकर तंग किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस और प्रशासन शरारती तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कभी गाय, तो कभी जय श्रीराम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। समाचारपत्र ने योगी सरकार से मांग की है कि वह शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि मुसलमान अमन और शांति से रह सकें।

शाहजहांपुर की एक मस्जिद में कुरान को जलाए जाने की घटना का उल्लेख करते हुए समाचारपत्र ने कहा है कि इससे साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान और मस्जिदें दोनों सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कुछ शरारत पसंद लोग सांप्रदायिक नफरत का जहर घोलना चाहते हैं और सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं, ताकि मुसलमान आपस में ही लड़ मरें। समाचारपत्र ने इस बात की निंदा की है कि उत्तर प्रदेश में आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा ह। अभी हाल ही में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि और लव जिहाद का शोशा छेड़ा गया है। ये दोनों मुद्दे मुसलमान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। मगर राज्य सरकार इनका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है।

# पति की सहमति के बिना भी मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार

**रोजनामा सहारा** (2 नवंबर) के अनुसार केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस्लामिक कानून में मस्लिम महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने का अधिकार दिया गया है और इसमें यह जरूरी नहीं है कि पति की रजामंदी के बाद ही उसे तलाक दिया जाए। दूसरे शब्दों में मुस्लिम महिलाएं अपने पति से तलाक मांग सकती हैं। चाहे पति तलाक के लिए राजी हो या न हो। यह अधिकार उन्हें इस्लामिक कानून में दिया गया है। न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सी.एस. डायस की खंडपीठ ने इस संदर्भ में पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं पति की मर्जी के बिना भी 'खुला' के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। गौरतलब है कि इस्लामिक कानून के तहत जब कोई मुस्लिम महिला तलाक मांगती है तो उसे 'खला' कहा जाता है।

अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए यह याचिका जिन लोगों ने दायर की है वे पुरुषों के वर्चस्व के समर्थक हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को शरिया में दिए गए अधिकार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यह पुनर्विचार याचिका मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत दिए गए तलाक के हुकुमनामे को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। पुनर्विचार याचिका में यह तर्क दिया गया था कि अगर कोई मुस्लिम पत्नी अपने पति से निकाह को रद्द करना चाहती है तो उसे पहले अपने पति से तलाक लेना होगा। यदि पति तलाक देने से इंकार करता है, तो मुस्लिम पत्नी इस संदर्भ में काजी या अदालत की शरण ले सकती है। याचिका दायर करने वाले ने कहा था कि महिला को खला लेने का तब तक अधिकार नहीं है, जब तक उसके लिए पति रजामंद न हो। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में पत्नी को एकतरफा तलाक लेने का अधिकार नहीं है।

**हमारा समाज** (3 नवंबर) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि केरल उच्च न्यायालय का यह फैसला मुसलमानों को स्वीकार नहीं है और यह उनके लिए काफी तकलीफ देने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेगा। रहमानी ने कहा

है कि अदालत का यह फैसला कानून की व्याख्या नहीं, बल्कि अदालत ने खुद कानून बनाने का प्रयास किया है, जो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत का यह कर्तव्य है कि वह शरीयत एप्लीकेश एक्ट 1937 में जो कुछ कहा गया है उसकी व्याख्या करे। न कि वह अपनी तरफ से इसमें कोई वृद्धि या फेरबदल करे।

रहमानी ने कहा कि इस्लाम में पति-पत्नी के अलग होने के तीन तरीके हैं और ये तीनों तरीके कुरान और हदीस के अनुसार हैं। पहला तलाक, जिसका अधिकार पुरुष को दिया गया है। दूसरा खुला, जिसमें पति और पत्नी की सहमति से तलाक होता है और पत्नी एकतरफा खुला नहीं ले सकती। हालांकि यह भी तलाक का ही एक रूप है, मगर इसमें पति-पत्नी के बीच सद्भावना बरकरार रहती है। तीसरी स्थिति निकाह को रद्द करने की है और यह अधिकार अदालत को दिया गया है। अगर पत्नी अपने पति से अलग होना चाहती है और पति तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, तो पत्नी अदालत की शरण ले सकती है। अगर अदालत यह महसूस करती है कि महिला को पताड़ित किया जा रहा है तो वह निकाह को रद्द कर सकती है और अगर वह यह महसूस करती है कि महिला का दावा सही नहीं है तो वह निकाह की याचिका को रद्द भी कर सकती है। इस संदर्भ में केरल उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह कुरान व हदीस के अनुसार नहीं है और न ही म्स्लिम लॉ में इस तरह की कोई बात कही गई है। अदालत ने यह फैसला देते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

**अवधनामा** (4 नवंबर) ने अपने संपादकीय में केरल उच्च न्यायालय के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस्लामिक कानून द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मुस्लिम पत्नी निकाह को रद्द करने की मांग कर सकती है और अगर पति इसे स्वीकार नहीं करता है तो वह अदालत की शरण ले सकती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि खला के तहत मुस्लिम पत्नी अपने निकाह को रद्द करने का अधिकार रखती है। उसका यह अधिकार पति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। अदालत ने जो स्पष्टीकरण दिया है, हालांकि वह सही है। मगर एक समस्या है कि क्या इस मामले में पति को रजामंदी की कोई कीमत नहीं है? यह सच है कि ऐसे कई मामले हम जानते हैं, जिनमें महिला निकाह को रद्द करवाना चाहती है। मगर पति उसे लटकाकर रखता है आर इसमें कई वर्ष गुजर जाते हैं। क्योंकि पति यह नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी निकाह से बाहर हो। वह जो स्वयं चाहता है वह करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने का फैसला किया है।

बोर्ड के महामंत्री मौलाना रहमानी ने कहा है कि अदालत का यह कर्तव्य है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में जो कुछ कहा गया है वह उसकी व्याख्या करे, न कि अपनी तरफ से उसमें कोई वृद्धि या उसमें कोई बदलाव करे। पत्नी अपनी इच्छा से खुला नहीं ले सकती, क्योंकि यह भी तलाक का ही एक रूप है। पत्नी अगर अलग होना चाहती है और पति तलाक देने के लिए तैयार नहीं है तो अदालत इसके बारे में फैसला करती है। हालांकि बोर्ड ने यह तो मान लिया है कि अगर पति खुला के लिए तैयार न हो तो अदालत निकाह को रद्द कर सकती है। सवाल यह है कि क्या अदालत द्वारा निकाह को रद्द करने के फैसले को इस्लामिक शरा स्वीकार करेगी। क्या पति ऐसे मामलों में अदालत की शरण नहीं लेगा? यह हकीकत है कि कितनी महिलाएं ऐसे पुरुषों के जुर्म की शिकार हैं जो न तो पति का फर्ज निभाते हैं और न ही तलाक देते हैं। इस तरह के पतियों की पत्नियां न इधर की रहती हैं और न उधर की। ऐसे में अगर अदालत कोई फैसला करती है तो क्या वह शरीयत में हस्तक्षेप का सवाल होगा?

# कट्टरपंथियों का अहमदियों के खिलाफ अभियान

इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अहमदी मुसलमानों के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू कर दिया है। हाल ही में कानपुर में खतमे-नबुव्वत का एक विशाल सम्मेलन आयोजित करके इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस नए अभियान की ओर देश के कट्टरपंथी मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए देश के सभी उर्दू अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर लंबे-चौड़े विज्ञापन प्रकाशित किए गए। गौरतलब है कि दारूल उलूम देवबंद और कट्टरपंथी सुन्नी वहाबी संगठन जमीयत उलेमा की ओर से इससे पहले भी अहमदी मुसलमानों को काफिर करार देने के लिए अभियान चलाया जाता रहा है। मगर बाद में सरकार के कड़े रूख के कारण इस अभियान को स्थगित करना पड़ा।

**हमारा समाज** (7 नवंबर) के अनुसार कानपुर में आयोजित तहफ्फुज खतमे-नबुव्वत व तहफ्फुज हदीस कांफ्रेंस से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस्लामिक मदरसे जामिया महमूदिया अशराफ-ए-उलूम की ओर से एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को विशेष मेहमान के तौर पर दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानपुर में शरारतो लोग इस्लाम के खिलाफ तरह-तरह के विवाद उठाते रहते हैं। इनमें इंकार हदीस का विवाद, कादियानियत और सकीलियत का विवाद शामिल हैं। इनका संबंध उन शरारती तत्वों से जुड़ा हुआ है जो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हजरत मोहम्मद अंतिम पैगम्बर थे। इसके अतिरिक्त वे हदीस पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामिक उलेमाओं का यह फर्ज है कि वे ऐसे तत्वों का उन्मूलन करें। ताकि असली इस्लाम को प्रोत्साहन मिल सके।

इसके साथ ही नोमानी ने मुस्लिम उलेमाओं से यह भी अपील की कि वे जनता की इस संदर्भ में रहनुमाई करें। गौरतलब है कि अहमदी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हजरत मोहम्मद अंतिम पैगम्बर थे। जबकि सकीलियत विचारधारा से जुड़े हुए लोग हदीस पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। मुफ्ती नोमानी ने कहा कि

हदीस के संरक्षण के लिए खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इस्लाम में कुरान और हदीस एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन पर प्रश्नचिन्ह लगाता है तो वह स्वत: ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। यही स्थिति हजरत मोहम्मद के अंतिम नबी होने के सिद्धांत की भी है। इसलिए हमें हदीस के संरक्षण और खतमे-नबुव्वत के सिद्धांत की रक्षा के लिए मैदान में आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दारूल उलूम देवबंद प्रारंभ से ही इस मामले में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस्लाम के इन तीन मुख्य सिद्धांतों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह हमारी बुनियादी जरूरत हैं। हमारा ईमान इतना ताकतवर होना चाहिए कि इस तरह के विवाद के सिर उठाने से पूर्व ही उनका उन्मूलन कर दिया जाए। अगर आपके पहलू में कोई ऐसा विवाद पनपता है और आपकी तबियत तड़पती नहीं है। आप उठकर खड़े नहीं होते, तो अल्लाह के पास हमारा क्या जवाब होगा? ऐसे विवादों से बचने के लिए यह जरूरी है कि हमारी अपनी तैयारी हो और हमें इसके बारे में ज्ञान हो।

मौलाना ने इस संदर्भ में अनेक इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि 'वह इल्म (ज्ञान) जो अल्लाह ने आपको दिया है, कुरान व हदीस के साथ-साथ बुजुर्गों के जो लेख हैं, उनका अध्ययन करें तो उससे हमारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। ईमान की हिफाजत हम सबकी जरूरत है। हर आदमी को अपने स्तर पर तहफ्फुज खतमे-नबुव्वत का काम करना चाहिए। ईमान और यकीदे की हिफाजत के लिए यह सबसे जरूरी है।' उन्होंने मुस्लिम विद्वानों से अनुरोध किया कि वे दारूल उलूम देवबंद में स्थापित खतमे-नबुव्वत विभाग से जुड़ें और उसके मार्गदर्शन में काम करें।

भिवंडी (महाराष्ट्र) से आए कुरान के उलेमा मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा कासमी नक्शबंदी ने कहा कि इस तरह के विवादों से 'इस्लामी उम्मत' को बचाने के लिए सिर्फ इल्म (ज्ञान) काफी नहीं है। बल्कि इसके साथ अल्लाह और इसके आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद के साथ निहायत मोहब्बत जरूरी है। खतमे-नबुव्वत की रक्षा के लिए देवबंद के उलेमाओं ने शानदार कुर्बानियां दी हैं। जो इस संबंध में बातिल (झूठ) का प्रचार कर रहे हैं। इनका लक्ष्य हजरत मोहम्मद को सच्ची नबुव्वत से उनके शैदाईयों (प्यार करने वालों) को दूर करना है।

उत्तर प्रदेश जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना इस्लामुल हक असद कासमी ने कहा कि इस तरह के दुष्प्रचार का प्रभाव या तो बहुत ज्यादा शिक्षित लोगों पर होता है या फिर बिल्कुल अनपढ़ लोगों पर। इसलिए हमें अपने आसपास इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, जो दीन की बातों के नाम पर हमारे यकीदे को खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हजरत मोहम्मद के अंतिम नबी होने पर कोई सवाल उठाता है तो उसके बाद हमार मदरसे और मस्जिदें कुछ भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।

**हमारा समाज** (8 नवंबर) के अनुसार अब्दुल अलीम फारूकी ने कहा कि जन्नत में वही जाएगा जो नबी पर ईमान लाए और नबी को आखिरी नबी माने। मुफ्ती राशिद आजमी ने कहा कि हदीस के बिना कुरान को मानना असंभव है। इसलिए हदीस को कुरान से अलग नहीं किया जा सकता।

**टिप्पणी:** पाकिस्तान हो या भारत अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथियों का अभियान जारी है। गत वर्ष भारत के सबसे ताकतवर सुन्नी संगठन जमीयत उलेमा ने सऊदी अरब सरकार को एक पत्र लिखकर यह मांग की थी कि अहमदियों के हज करने पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। वे इस इस्लामिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते कि हजरत मोहम्मद साहब अंतिम नबी (पैगम्बर) थे।

यहां पर उल्लेखनीय है कि 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों के समर्थन के कारण पंजाब क सियालकोट नगर के एक व्यक्ति मिर्जा गुलाम अहमद ने यह दावा किया था कि वे मुसलमानों के पैगम्बर महदी हं। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं को भगवान कृष्ण और गुरुनानक के अवतार होने का दावा किया था। ब्रिटिश सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान कस्ब में कई सौ एकड़ भूमि अपना मुख्यालय स्थापित करने के लिए दिया था। प्रारंभ से ही कट्टरपंथी मुसलमानों ने अहमदियों को मुसलमान स्वीकार नहीं किया। हालांकि, पाकिस्तान बनाने के आंदोलन में अहमदियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। मगर भारत से विदा होते समय अंगज सत्ता की बागडोर अहमदियों के हवाले करने की बजाय जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग के हवाले कर गए।

देश के विभाजन के बाद अहमदियों का एक वर्ग कादियान में डेरा डाले रहा। जबकि दूसरे वर्ग ने पाकिस्तान जाकर झंग जिले के समीप रबवाह में एक नया मुख्यालय बना लिया। जनरल अयूब खान के शासनकाल में पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने देशव्यापी अहमदी विरोधी दंगों की ज्वाला भड़काई, जिसमें कम-से-कम डेढ़ लाख अहमदी मारे गए। इस घटना की जांच के लिए पाकिस्तान सरकार ने मुनीर कमीशन का गठन किया था, जिसने जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मौलाना मौदूदी सहित 27 लोगों को इन दंगों का दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, मगर बाद में पाकिस्तान सरकार ने इनको माफ कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो के शासनकाल में पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करके अहमदियों को गर मुस्लिम घोषित कर दिया। अहमदियों क खलीफा तभी से लंदन में शरण लिए हुए हैं और उन्हें पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं हो रही है।

जहां तक भारत का संबंध है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर कट्टरपंथियों ने दो वर्ष पूर्व अहमदियों के कब्रिस्तानों और मस्जिदों को अपना निशाना बनाया था। दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर अहमदी विरोधी प्रदर्शन हुए। हाल ही में दारूल उलूम देवबंद ने पुनः इस मुद्दे को उछालने का प्रयास किया है और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के कई नगरों में सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं।

# इमरान खान पर हमला

**अवधनामा** (4 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में एक सशस्त्र हमलावर की फायरिंग मं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सांसद फैसल जावेद खान सहित अनेक लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में फैसल जावेद ने एक वीडियो बयान में कहा कि इमरान खान के लिए दुआ करें और इस घटना की जांच कराई जाए। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम पाकिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

पार्टी के प्रवक्ता फवाद चौधरी ने कहा कि पैर में गोली लगने से इमरान खान जख्मी हुए हैं। यह टार्गेट हमला है। इमरान खान का लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसे इमरान खान ने अपनी मां की याद में स्थापित किया था। उनकी हालत में सुधार हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि गृह मंत्रालय से उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देश की राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

पुलिस ने आक्रमणकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आक्रमणकारी ने दावा किया है कि वह सिर्फ इमरान खान को मारना चाहता था। मगर वह इसमें सफल नहीं हो सका। इमरान खान जनता को गुमराह कर रह थे और नमाज की अजान के दौरान डीजे बजा रहे थे। पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी के बयानों में विसंगति पाई गइ है। एक ओर तो वह कहता है कि उसने इमरान खान का कत्ल करने का फैसला अचानक किया था, जबकि दूसरी ओर उसने यह भी कहा है कि जब लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ था। तभी उसने इमरान खान की हत्या की योजना बना ली थी। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इस साजिश का पर्दाफाश जल्द ही किया जाएगा। पीटीआई के एक नेता शहबाज गिल ने कहा है कि मार्च हर हाल में जारी रहेगा। इमरान खान

हारने वाले नहीं हैं वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं।

**सालार** (5 नवंबर) के अनुसार इमरान खान ने दावा किया है कि चार लोगों ने बंद कमरे में मुझे मरवाने का फैसला किया था। मैं यह बताऊंगा कि वे चार लोग कौन थे? जिसने मुझ पर हमला किया है वह अकेला नहीं है। उसके पीछे बहुत लोग हैं। हमने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की थी, मगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। मैं बहुत जल्द सिंध जाऊंगा और जरदारी को पराजित करूंगा। नवाज शरीफ को मेरी चुनौती है कि वे जिस सीट से चाहें मुझसे चुनाव लड़ लें। देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की अंदरूनी बातों की इसलिए जानकारी मिलती है, क्योंकि कई विभागों में मेरे समर्थक हैं, जो मुझे बताते हैं कि क्या साजिश हो रही है। वे मुझे सलमान तासीर की तरह मरवाना चाहते थे। जो लोग यह समझते थे कि पीटाआई समाप्त हो जाएगी उनके मुंह पर जुलाई में हुए उपचुनाव के नतीजे एक करारा तमाचा है। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त नवाज शरीफ के घर के नौकरों की तरह हैं। सबको पता है कि अरशद शरीफ के पीछ कौन पड़ा हुआ था? जनता बेवकूफ नहीं है, वह सब जानती है।

**सियासत** (5 नवंबर) के अनुसार इमरान खान पर हुए हमले के खिलाफ पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किए और धरना दिया। इमरान खान के सहयोगी और अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान पर हमला देश में गृहयुद्ध छेड़ने की साजिश है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे कानून को अपने हाथ में न लें।

**इत्तेमाद** (5 नवंबर) के अनुसार लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जबकि रावलपिंडी में कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की ओर से आंसू गैस चलाए गए। अनेक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में शाहराह-ए-फैसल रोड़ पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पेशावर और रावलपिंडी में भी अनेक स्थानों पर प्रदर्शन की खबर मिली है।

**औरंगाबाद टाइम्स** (4 नवंबर) के अनुसार फायरिंग में कम-से-कम छह नेता जख्मी हुए हैं। हमलावर ने बताया है कि वह इमरान खान को जान से मारना चाहता था। हमले के पांच दिनों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने इस बात पर नाराजगी प्रकट की है कि चार दिन गुजर जाने के बाद भी इस हमले की एफआइआर पुलिस ने दर्ज क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को यह निर्देश दिया है कि व इस हमले की एफआईआर तुरंत दर्ज करें।

**अवधनामा** (8 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुवमेंट के पमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि यह हमला सिर्फ ड्रामा है। इमरान खान ने अभिनय में भारतीय अभिनेताओं शाहरूख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी पसंद का नया सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहते हैं। यह ड्रामा सिर्फ इसीलिए किया गया है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (4 नवंबर) के अनुसार ब्रिटिश सांसद खालिद महमूद ने इमरान खान को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि वे पाकिस्तान में अशांति पैदा करके वहां की जनता के लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं।

**अवधनामा** (5 नवंबर) के अनुसार ईरान ने इमरान खान पर हमले की निंदा की है। साथ ही एक अमेरिकी थिंक टैंक मिडिल इस्ट इंस्टीट्यूट के पाकिस्तानी मामलों के निदेशक

मार्विन वेनबाउम ने कहा है कि इस हमले से राजनीतिक हिंसा को हवा मिलेगी और इमरान खान को जनता की सहानुभूति प्राप्त होगी, जिसके कारण वे प्रशासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डाल सकेंगे। अब पाकिस्तान के नेतृत्व को संभावित अशांति को टालने के लिए विपक्ष के साथ वार्ता शुरू करनी होगी और देश में आम चुनाव करवाने होंगे।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (4 नवंबर) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि पाकिस्तान में राजनीतिक हिंसा के खूनी दौर की वापसी हो गई है। समाचारपत्र ने लिखा है कि दो हमलावरों ने यह फायरिंग की थी, जिसमें एक मौके पर ही मारा गया। समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान में चुनाव और उपचुनाव में खून खराबा एक आम बात है जो कि वहां के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अभी तक पाकिस्तान में होने वाले सभी चुनाव हिंसा और धांधलियों के आरोपों के बीच हुए हैं। 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को ऐसे ही एक चुनावी जलसे में कत्ल कर दिया गया था। 2013 में जो पाकिस्तान में चुनाव हुए उसमें कम से कम 51 लोग मार गए। मोटे तौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमलों के कारण चुनाव से पहले और बाद में 240 लोग पाकिस्तान में मारे गए। इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली में अब कठिनाई आएगी और सेना को सत्ता में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल जाएगा।

**सालार** (6 नवंबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे वहां की सेना और गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। यह हमला उनके इशारे पर हुआ है। यह अलग बात है कि इमरान खान बच गए। यह समझना मुश्किल है कि पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था इतना कमजोर क्यों थी कि गोली चलाने वाला व्यक्ति काफी देर से उनके वाहन के साथ चल रहा था और उसके पास आधुनिकतम हथियार थे। इससे पूर्व भी ऐसे ही हमलों के कारण पाकिस्तान कम-से-कम दो प्रधानमंत्रियों को खो चुका है। प्रशासन ने इससे सबक क्यों नहीं लिया? सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी मजबूत है और जो व्यक्ति उसके इशारों पर नहीं चलता उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। इमरान खान ने कई बार फौज के निर्देशों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण सेना प्रमुख और उनके बीच दूरी बढ़ती गई। पाकिस्तानी सेना हर समय अपने देश में भारत के खिलाफ माहौल बनाए रखना चाहती है। क्योंकि वह यह नहीं चाहती कि सत्ता उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए इमरान खान की सरकार को गिराया गया।

**अवधनामा** (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि इमरान खान पर हमले के बावजूद कई दिनों तक पुलिस इस मुद्दे पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करती और आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय को एक्शन में आना पड़ता है और उसके हस्तक्षेप पर ही एफआईआर दर्ज होती है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ देश की पुलिस और प्रशासन का यह रवैया है तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा?

एफआईआर दर्ज न होने की कहानी भी काफी रोचक है। पुलिस महानिरीक्षक फैसल शाहकर ने पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही की सरकार के साथ काम करने से इंकार कर दिया है। शाहकर ने अदालत को बताया कि हम एफआईआर दर्ज करना चाहते थे। मगर पंजाब के मुख्यमंत्री यह चाहते थे कि इस हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति के वारिसों की शिकायत पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पंजाब में चार वर्ष में आठ आईजी बदले गए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत आपके साथ है। अगर कोई आपकी जांच में हस्तक्षेप करेगा तो अदालत इस मामले में चुप नहीं रहेगी। अफसोसनाक बात यह है कि

है कि वहां पर राजनेताओं का कम और सेना का नियंत्रण ज्यादा रहा है। कोई सरकार ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो सेना को पसंद न हो। सेना का विरोध करने के कारण ही इमरान खान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। इमरान खान ने अपने पर हुए हमले के पीछे सेना के एक जनरल का हाथ बताया है। पाकिस्तान के एक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने इस हमले को ड्रामा करार दिया है। इससे साफ है कि पाकिस्तान की राजनीति किस ओर जा रही है।

**इत्तेमाद** ने 5 नवंबर के संपादकीय में पाकिस्तान में इमरान खान पर हुए हमले पर चिंता प्रकट की है। इमरान खान ने अपनी सरकार को गिराए जाने के बाद यह आरोप लगाया था कि उन्हें हटाने में अमेरिका और फौज का हाथ है। इसलिए वह अपनी जनता को अमेरिका की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए आजादी मार्च निकाल रहे हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का पाकिस्तानी जनता ने स्वागत किया और उसे सहयोग दिया। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है, जिसे जननेता कहा जा सके। इसका कारण यह

पाकिस्तान में जो टकराव की राजनीति शुरू हुई है उसके कारण पाकिस्तान के बुद्धिजीवी परेशान हैं। वे विभिन्न वर्गों के बीच वार्ता शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। मगर इमरान खान वार्ता नहीं बल्कि देश में नए चुनाव करवाना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि इमरान खान और उनकी पार्टी बार-बार भारत का उदाहरण देती है और कहती है कि भारत की सेना कभी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत की विदेश नीति की भी सराहना की है और कहा है कि अमेरिका वहां की सरकारों को बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि उसकी सफल विदेश नीति का परिचायक है। ■

# संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर प्रस्ताव पारित

**इंकलाब** (13 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद मानवाधिकारों के हनन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्ताव का प्रारूप पेश किया गया, जिसके पक्ष में 116 देशों ने वोट दिए। जबकि पाकिस्तान सहित दस देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि जो प्रस्ताव का प्रारूप पेश किया गया है वह असंतुलित है और तथ्यों के विपरीत है। इसलिए पाकिस्तान मतदान में भाग नहीं लेगा। डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 10 नवंबर को प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा की

घटनाओं में वृद्धि, मानवाधिकारों का हनन, आतंकवादी गिरोहों की मौजूदगी, महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करने पर चिंता प्रकट की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 193 देशों में से 116 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिए, जबकि दस देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। मतदान में भाग न लेने वाले देशों में पाकिस्तान, चीन, रूस, बेलारूस, बुरुंडी, उत्तर कोरिया, इथियोपिया, गिनी, निकारगुआ और जिम्बाब्वे शामिल हैं। प्रस्ताव में अफगानिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और मानवाधिकारों के हनन पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए तालिबान सरकार से मांग की गई कि वह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करे। महासभा में अफगानिस्तान में अलकायदा और आईएसआईएस की मौजूदगी पर भी चिंता प्रकट की गई और कहा गया कि अफगानिस्तान में भीषण खाद्य संकट है और अकाल जैसी स्थिति है, जिससे महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

प्रस्ताव पारित होने के बाद पाकिस्तान के उप स्थाई प्रतिनिधि आमिर खान ने कहा कि उनके देश ने मतदान में इसलिए भाग नहीं लिया है, क्योंकि यह असंतुलित और तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में नई अफगान सरकार को मान्यता नहीं दी गई और न ही उसके साथ संपर्क को प्रोत्साहन देकर वहां पर सामान्य स्थिति को बहाल करने के किसी प्रयास का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिकत अफगानिस्तान की विदेशों में संपत्ति को रिलीज करने, मानवीय आधारों पर वहां पर सहायता उपलब्ध कराने और अफगानिस्तान की अर्थव्यस्था में सुधार के किसी प्रयास का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

## अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में मुसलमानों की सफलता

**रोजनामा सहारा** (13 नवंबर) ने यह दावा किया है कि अमेरिका में हाल में हुए मध्यावधि चुनाव में 82 मुसलमान फेडरल स्टेट और ज्युडिशियल ऑफिसेस के लिए चुने गए हैं। इनमें कई पाकिस्तानी मूल के तो कई भारतीय मूल के भी हैं। चुनाव जीतने वालों में मिशिगन से भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक श्री थानेदार और मरीलैंड के उपराज्यपाल के रूप में भारतीय मूल की अरूणा मिलर शामिल हैं। काउंसिल ऑफ अमेरिकी इस्लामिक रिलेशन के प्रमुख ने यह दावा किया है कि 82 मुसलमान चुने गए हैं। यह अमेरिकी मुसलमानों की सबसे बड़ी सफलता है। राज्य स्तर पर जो 29 मुसलमान चुने गए हैं, उनमें से कई पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इन उपचुनावों के बाद अमेरिका में राज्य स्तर पर कानून बनाने वाले संस्थानों में मुसलमानों की संख्या 43 तक हो गई है। दोबारा चुने जाने वालों में मदीना विल्सन, इमान जोडेह और सऊद अनवर शामिल हैं।

जॉर्जिया में सीनेटर शेख रहमान के अतिरिक्त दो मुस्लिम महिलाएं भी निर्वाचित हुई हं, जिनके नाम नबीला इस्लाम और रूवा रोम्मान हैं। इंडियाना के क्षेत्र से मुस्लिम डेमोक्रेटिक आंद्रे कार्सन ने सातवीं बार कांग्रेस में निर्वाचित होकर इतिहास बनाया है। उनको टक्कर एंजेला ग्राबोव्स्की से हुई, जिन्हें 53 हजार वोट मिलें। जबकि आंद कासन को 1 लाख 16 हजार वोट मिले। मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी की राशिदा तलैब तीसरी बार चुनी गई। जबकि एक अन्य मुस्लिम उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्हान उमर भी मिनेसोटा से तीसरी बार चुनी गई। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि सिसली डेविस के मुकाबले में डेढ़ लाख से अधिक मत प्राप्त किए। मिनसोटा के अटॉर्नी जनरल के तौर पर एक मुसलमान कीथ एलिसन चुना गया। काउंसिल ने यह दावा किया है कि 23 राज्यों में 51 मुसलमान निर्वाचित हुए हैं, जो कि अमेरिका की राजनीति को नई गति दे सकते हैं। न्यू जर्सी में 21 वर्षीय अलीशा खान चुनी गई हैं, जो मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित होने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। अलीशा खान के माता-पिता कराची से न्यू जर्सी आए थे। टेक्सास से सुलेमान ललानी और सलमान भोजानी चुने गए हैं। इन दोनों का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है।

**रोजनामा सहारा** (15 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स को सीनेट में वर्चस्व हासिल हुआ है। डॉन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सीनेट में 50-50 की टाई की स्थिति में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का वोट निर्णायक सिद्ध हुआ, जिनके कारण सीनेट में डेमोक्रेट्स को 51 सीटें प्राप्त हुई हैं। उपचुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन के 16 उम्मीदवारों को डेमोक्रेट्स से पराजित होना पड़ा। पराजित होने वालों में अधिकांश ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2020 के चुनाव को स्वीकार नहीं करते। ब्रिटिश समाचारपत्र 'द गार्डियन' ने दावा किया है कि इन चुनावों में ट्रम्प को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव से पूर्व जो भविष्यवाणी की गई थी कि रिपब्लिकन उम्मीदवार विजयी होंगे, वह दावा गलत साबित हुआ है।

## अफगान महिलाओं के जिम और हम्माम में जाने पर प्रतिबंध

**रोजनामा सहारा** (15 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने अफगान महिलाओं के जिम और हम्माम में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पूर्व महिलाओं के पार्क और मेलों में जाने पर भी पतिबंध लगाया जा चुका है। डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जब से तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आए हैं, उनकी ओर से महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हालांकि तालिबान ने यह दावा किया था कि वे अब 2001 की तरह महिलाओं पर कोई

प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और उनका रवैया उनके प्रति नरम होगा। मगर इसके बावजूद सभी सरकारी विभागों से महिलाओं को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। कोई भी महिला अकेले सफर नहीं कर सकती और न ही हिजाब और बुर्का पहने बिना घर से बाहर कदम रख सकती है।

अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने लड़कियों के सभी स्कूल बंद कर दिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के बार-बार दबाव डालने के बावजूद उन्हें नहीं खोला गया। सरकार के एक प्रवक्ता मोहम्मद अकीफ सादिक मोहाजिर ने जिम में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन जिम में प्रशिक्षक पुरुष होते हैं, जो शरा के खिलाफ है। इसी तरह से हम्माम में जाने पर भी इसलिए पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि इन हम्मामों में पुरुष भी आते हैं, जो कि इस्लामिक शरा के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि महिलाएं शरीयत का पालन करें और ऐसा लिबास न पहनें जो कि इस्लामिक शरा के अनुरूप नहीं हैं। हम इस्लामिक शरा को सख्ती से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

# नीदरलैंड सरकार का चीनी केंद्रों को बंद करने का फैसला

**सियासत** (5 नवंबर) के अनुसार नीदरलैंड सरकार ने यह निर्देश दिया है कि उसके देश में चीन सरकार द्वारा संचालित सभी केंद्रों को बंद कर दिया जाए। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इन केंद्रों में जाने वाले विरोधियों को चीन के पुलिस अधिकारी परेशान करते हैं और सरकार का इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती। पवक्ता ने कहा कि चीन ने दुनिया भर में 54 पुलिस केंद्र स्थापित कर रखे हैं, जिनमें से दो नीदरलैंड में स्थित हैं, जबकि ब्रिटेन में तीन और कनाडा में भी ऐसे केंद्रों की संख्या तीन बताई जाती है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि इन केंद्रों को खोलने से पूर्व चीन सरकार ने नीदरलैंड सरकार से कोई अनुमति नहीं ली थी, इसलिए इन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया गया है। चीन की विदेश मंत्रालय ने नीदरलैंड सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इस संदर्भ में जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पहला चीनी दफ्तर 2018 में एम्सटर्डम में खोला गया था। जबकि दूसरा इस वर्ष के शुरू में रॉटर्डम नामक नगर में खोला गया है। कनाडा सरकार भी अपने देश में स्थापित चीनी केंद्रों को गतिविधियां की जांच कर रही है, ताकि उन्हें बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

# इस्तांबुल में बम धमाका

**रोजनामा सहारा** (14 नवंबर) के अनुसार तुर्की के इस्तांबुल में हुए बम धमाके में कम-से-कम 6 लोग मारे गए और 81 से अधिक घायल हो गए। यह धमाका तुर्की के सबसे बड़े नगर इस्तांबुल के महत्त्वपूर्ण कारोबारी केंद्र इस्तिकलाल एवेन्यू के शॉपिंग मॉल में हुआ। धमाके के तुरंत बाद पुलिस ने इस सारे क्षेत्र को घेर लिया और सेना के हेलीकॉप्टर नगर के ऊपर उड़ने लग। विदेशी मीडिया के अनुसार मरने वालों की संख्या 41 बताई जाती है। धमाके के बाद नगर के सभी मार्गो को बंद कर दिया गया और पुलिस ने इस धमाके की जांच शुरू कर दी है। जिस मॉल में यह धमाका हुआ है वह पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों में बहुत लोकप्रिय है। साशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों के अनुसार धमाके के बाद सारे क्षेत्र में आग लग गई और लोग भागने लगे। इन तस्वीरों में कई शव भी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तुर्की ने इस धमाके से संबंधित समाचारों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

**इंकलाब** (15 नवंबर) के अनुसार तुर्की पुलिस ने इस धमाके के सिलसिले में सीरिया की रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने इस बम को वहां पर रखा था। इस महिला का संबंध अतिवादी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी से बताया जाता है। गिरफ्तार की गई महिला का नाम अहलाम अल-बशीर बताया जाता है। पुलिस ने दावा किया है कि इस महिला ने यह स्वीकार किया है कि उसे कुर्द आतंकवादियों ने प्रशिक्षण दिया था और पिछले सप्ताह वह सीरिया से तुर्की में दाखिल हुई थी। तुर्की के गृहमंत्री ने दावा किया है कि इस घटना के पीछे आतंकवादी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी (पीकेके) का हाथ है। इस संगठन ने 1980 से तुर्की के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एक समानांतर सरकार स्थापित कर रखी है, जिसके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

# उमरा के लिए 20 लाख लोग मक्का में

**इंकलाब** (15 नवंबर) के अनुसार अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उमरा का यह सीजन 30 जुलाई से शुरू हुआ था। अब तक हवाई मार्ग से 17 लाख 83 हजार 352 यात्री उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब आए। जबकि सड़क मार्ग से 1 लाख 80 हजार से अधिक लोग सऊदी अरब में दाखिल हुए हैं। सबसे ज्यादा लोग

इंडोनेशिया से आए हैं, जिनकी संख्या 5 लाख 51 हजार है। दूसरे नम्बर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिक हैं। यह संख्या 3 लाख 70 हजार से अधिक है। भारत से 2 लाख 30 हजार, इराक से एक लाख 50 हजार और मिस्र से एक लाख एक हजार लोग उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं।

उमरा मंत्रालय के अनुसार 479 कंपनियों को हज और उमरा करने की व्यवस्था करने के लिए सऊदी सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं। सऊदी सरकार ने उमरा के लिए वीजा की अवधि एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने तक की कर दी है। इस अवधि में श्रद्धालु पूरे देश में घुम सकते हैं। हज शुरू होने के बाद किसी को भी उमरा के लिए आने की अनुमति नहीं होगी।

## इजरायल में नेतन्याहू सत्तारूढ़

**इंकलाब** (15 नवंबर) के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायली राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने इजरायल में सबसे ज्यादा अवधि तक सत्तारूढ़ रहने वाले नेतन्याहू को एक बार फिर सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। हालांकि महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को पाने के लिए नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल दलों में होड़ लगी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को नई सरकार बनाने का आमंत्रण

विभिन्न पार्टियों के नेताओं से विचार-विमर्श के बाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि नेतन्याहू पर कुछ आरोप लगाए गए थे, जिनकी सुनवाई जिला अदालत में हो रही है। मगर हाल के चुनावी नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नेतन्याहू इसके बावजूद प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं।

73 वर्षीय नेतन्याहू पर धोखाधड़ी और रिश्वत लेने के आरोप हैं, जिनमें कुछ मीडिया मालिक और उनके साथी शामिल हैं। नेतन्याहू की पार्टी के सबसे प्रमुख सहयोगी इतामार बेन-गवीर हैं, जो अरबों को इजरायली से निकालना चाहते हैं। उनकी पार्टी को हाल के चुनावों में 14 सीटें प्राप्त हुई हैं। एक अन्य यहूदी पार्टी के प्रमुख की नजर रक्षा मंत्रालय पर है। वे फिलिस्तीन के कुछ भागों को इजरायल में मिलाने के समर्थक हैं। इन दोनों व्यक्तियों के कारण इजरायल में रहने वाले अरब मूल के लोगों में बेचैनी का माहौल है।

**इत्तेमाद** (4 नवंबर) के अनुसार नेतन्याहू के पुनः प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। हाल के चुनाव में उनके गठबंधन को इजरायली संसद के 120 सीटों में से 61 में विजय प्राप्त हुई है। इजरायल में गत साढ़े तीन वर्षों में किसी भी पार्टी को स्थिर बहुमत न मिलने के कारण पांच बार चुनाव हुए हैं और लगातार 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले नेतन्याहू को मामूली सफलता प्राप्त हुई है। कट्टरपंथियों के सत्ता में आने के कारण फिलिस्तीनी जनता परेशानी का अनुभव कर रही है। उनका दावा है कि इन चुनावी नतीजों के कारण मध्यपूर्व में तनाव बढ़ेगा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों को इजरायल में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ जाएगी।

आतंकवादी संगठन हमास ने दावा किया है कि इजरायल के चुनावी नतीजे के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इजरायल में जो भी सरकार सत्ता में आएगी, उसका रूख अरब और फिलिस्तीन विरोधी होगा। इससे फिलिस्तीन में शांति स्थापित होने की संभावना कम होगी। नेतन्याहू के प्रमुख विरोधी और अंतरिम प्रधानमंत्री येर लापिड ने चुनावों में अपनी हार स्वीकार कर ली है और कहा है कि वे विपक्ष में बैठेंगे। अंतरिम प्रधानमंत्री ने अपना मिस्र दौरा रद्द कर दिया है।

**सियासत** (9 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू की विजय के छह दिनों बाद उन्हें जीत की बधाई दी है। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को कहा है कि इजरायल के साथ मेरे संबंधों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हम और अधिक शांति समझौता करने का प्रयास जारी रखेंगे। इजरायल और अमेरिका के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। एक इजरायली समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच आठ मिनट तक बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निकटवर्ती सूत्रों ने यह दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नेतन्याहू को बधाई देने में इसलिए देरी हुई है, क्योंकि वे अमेरिका में हो रहे मध्यावधि चुनाव में व्यस्त थे।

**अवधनामा** (5 नवंबर) के अनुसार नेतन्याहू के गठबंधन को 64 सीटें प्राप्त हुई हैं और दक्षिणपंथी पार्टियों के गठबंधन को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को 32, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी को 18 और दक्षिणपंथी गठबंधन की पार्टियों को 14 सीटें प्राप्त हुई हैं। जबकि कार्यकारी प्रधानमंत्री के गठबंधन ने 51 सीटें प्राप्त की हैं। 73 वर्षीय नेतन्याहू 14 महीने विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में वापस आए हैं। हालांकि, अदालत में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई जारी रहेगी।

# शिराज की दरगाह में हुए हमले के सिलसिले में 26 विदेशी गिरफ्तार

**इत्तेमाद** (9 नवंबर) के अनुसार ईरान के शिराज की दरगाह में हुए हमले के सिलसिले में ईरान के गुप्तचर विभाग ने 26 विदेशियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस दरगाह में हुए हमले की जिम्मेवारी सुन्नी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली थी। विदेशी संवाद समिति एएफपी के अनुसार 26 अक्टूबर को शिराज की दरगाह में हुए सशस्त्र हमले में कम-से-कम 13 लोग मारे गए थे। ईरान के गृह मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उनके गुप्तचर विभाग ने इस हमले की पूरी साजिश का पता लगा लिया है और इस सिलसिले में 26 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध अजरबैजान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान से है।

सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि इन आतंकवादियों को फास, तेहरान, अल्बोर्ज, करमान, कोम और खोरासान में गिरफ्तार किया गया है। यह हमला एक ऐसे मजार पर हुआ था, जो ईरान में शियाओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह हमला उस समय हुआ जब पुलिस की हिरासत में मारी गई महसा अमीनी की हत्या का 40वां मनाया जा रहा था। सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मौके पर जिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था, उसने घायलावस्था में अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसका संबंध ताजिकिस्तान से था। इस हमले की साजिश का मुख्य आरोपी अजरबैजान का नागरिक है, जो बाकू से तेहरान में दाखिल हुआ था। उसका संबंध निरंतर आईएसआईएस के खोरासान चैप्टर से था। ■

# सूडान में नई सियासी रूपरेखा पर बातचीत

**इत्तेमाद** (11 नवंबर) के अनुसार सूडान के सैनिक तानाशाह जनरल अब्दुल फतह अल-बुरहान ने इस बात की पुष्टि की है कि देश की नए राजनीतिक रूपरेखा पर वे विभिन्न वर्गों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश की पुराने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को यह चेतावनी भी दी कि वे सेना और देश की राजनीति में हस्तक्षेप न करें। देश की राजधानी खार्तूम में एक सैनिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, जो इस देश को बचाना चाहता है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष अल-बुरहान के नेतृत्व में सेना ने फौजी क्रांति करके निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट दिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। गत एक वर्ष से सूडान के विभिन्न भागों में लोकतंत्र समर्थक उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके तार पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशोर की नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए जनरल अल-बुरहान ने कहा कि सेना पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को किसी भी सूरत में वापस सत्ता में नहीं लाएगी। हम यह चाहते हैं कि देश में वे लोग सत्ता में आए जो सेना और जनता को स्वीकार हों। ■

# मुंबई दंगों में लापता लोगों को खोजने का निर्देश

**मुंबई उर्दू न्यूज** (6 नवंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 1992 के मुंबई दंगों में लापता होने वाले 168 लोगों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इस आदेश को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो इन लोगों के नाम और पते को जांच करेगी। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह लापता लोगों के परिवारजनों को मुआवजा अदा करे। इस याचिका का नोटिस लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। मार्च 2020 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन दंगों में 109 लोग मारे गए थे और 168 लापता हा गए थे। इनमें से 60 लापता लोगों के परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है।

# गौतम नवलखा को घर में नजरबंद रखने का आदेश

**इत्तेमाद** (11 नवंबर) के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सर्वोच्च न्यायालय ने राहत देते हुए उनकी उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके घर में ही नजरबंद रखा जाए। न्यायालय ने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को रद्द करने का कोई कारण नजर नहीं आता। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यामूर्ति ऋषिकेश रांय ने उन्हं राहत देते हुए कई शर्तें भी लगाई और कहा है कि इस आदेश पर 48 घंटे के अंदर अमल होना चाहिए। गौतम नवलखा को एक महीने तक घर में नजरबंद रखने का निर्देश दिया गया है। उन्हें 2 लाख 40 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। नजरबंदी के दौरान उन्हें कंप्यूटर या इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। मगर वे बिना इंटरनेट के मोबाइल व फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पुलिस उन्हें उपलब्ध करवाएगी। नवलखा को मुंबइ छोड़ने की अनुमति नहीं होगी आर न ही वे गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। उनके घर पर सीसीटीवी कैमरे द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

# ओवैसी पर हमले के आरोपियों की जमानत रद्द

**इत्तेमाद** (12 नवंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर घातक हमला करने वाले आरोपियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है और उन्हें यह निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर

विचार नहीं किया और न ही जमानत देने का कोई कारण बताया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि ओवैसी की कार पर हापुड़ के समीप उस समय गोलियां चलाई गई थीं, जब वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार में भाग लेने के बाद दिल्ली वापस आ रहे थे। पुलिस ने इस संदर्भ में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

## मौलाना महमूद मदनी पर्सन ऑफ द ईयर घोषित

**अवधनामा** (3 नवंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को जॉर्डन के एक संगठन ने उनकी मिल्ली और सामाजिक सेवाओं के लिए इस वर्ष का पर्सन ऑफ द इयर करार दिया है। जॉर्डन के शोध संस्थान आर.आई.एस.एस.सी. ने इस संदर्भ में विश्व के 500 मुस्लिम नेताओं का सर्वे किया था और इस सर्वे के परिणामस्वरूप उन्हें भारत में एक नंबर की शख्सियत करार दिया गया है। मौलाना मदनी लगातार चौदहवीं बार दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम शख्सियत में शामिल किए गए हैं।

## मुंबई नगर निगम में 12 हजार करोड़ का घोटाला

**मुंबई उर्दू न्यूज** (1 नवंबर) के अनुसार मुंबई महानगर निगम चुनाव से पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने महानगर निगम के गत दो वर्ष के कार्यों की जांच करने का आदेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को दिया है। इससे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान 12 हजार करोड़ की परियोजनाओं के लिए कोई टेंडर नहीं मांगे गए और इसके बावजूद काम शुरू करवा दिया गया था। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह घोषणा की थी कि वे इस घोटाले की जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की है कि यह जांच निष्पक्ष रूप से होगी। दूसरी ओर, पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि नगर निगम ने इन परियोजनाओं के टेंडर निकाले थे। यदि सीएजी को इस पर कोई आपत्ति है तो वह इन परियोजना का विशेष ऑडिट कर सकता है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

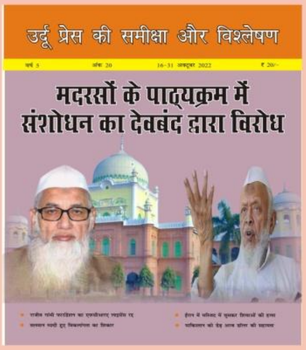


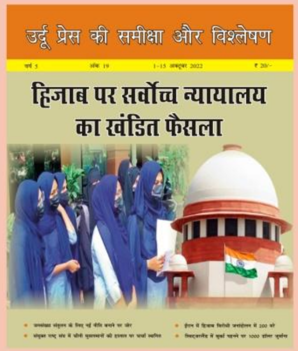

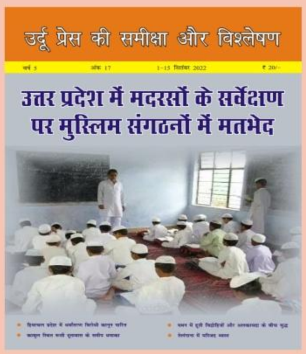


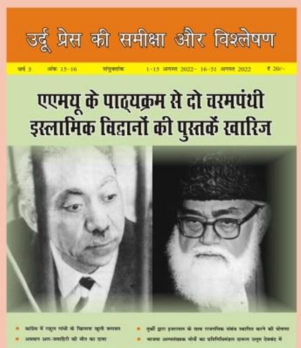


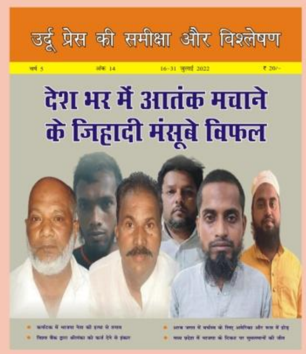


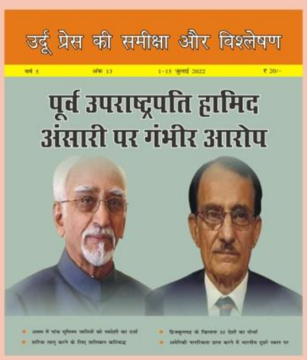


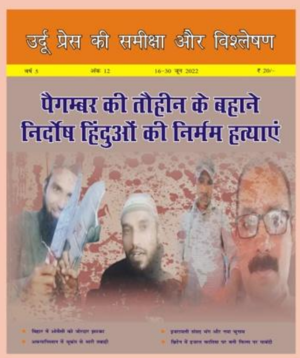


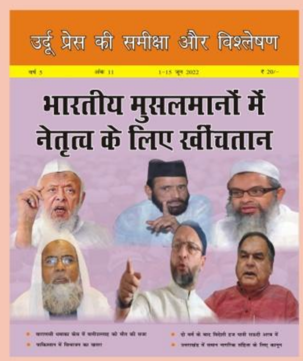


भारत नीति प्रतिष्ठान
**India Policy Foundation**
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in